न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 177/2022 (2022/566)

1. जगदीश पुत्र रामकिशन जाति जाट
2. सोराज पुत्र रामकिशन जाति जाट
   निवासीगण तसवारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

———वादीगण

♠ बनाम ♠

1. धनराज पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी तितरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
2. रामधन पुत्र मकना जाति जाट निवासी आमली तहसील ककड़ी जिला अजमेर राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——— प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. श्री कालूराम गुर्जर— अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188,92ए,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 23.12.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम आमली तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
187—168	483 487	0.79 0.55	जाव 2 चाही 2 जाव 2
किता — 2		कुल रकबा 1.34 हैक्ट	

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी, कब्जे—काश्त की आराजीयात है जिस पर वादीगण ने आराजीयात को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए लोहे के खम्बे गाड रखे है। खसरा नम्बर 483 व 487 के लगवा ही खसरा नम्बर 511 जो गैर मुमकिन रास्ता है पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो ग्राम आमली से तसवारिया जाती है। वादीगण की स्वयं की आराजी की मेड के लगवा आम ग्रेवल सड़क बनी हुई है जिस पर प्रतिवादीगण का कोई व्यक्तित्व हक व अधिकार नही है। वादीगण की आराजी की मेड के पास प्रतिवादीगण नाला खेदकर जबरदस्ती बरसात के पानी का निकास ग्राम तसवारिया की तरफ निकालना चाहते है। वादीगण की आराजी के पास ग्रेवल सडक की चौडाई करीब 22 फीट है, फिर आगे कहीं पर 10, कहीं पर 15 फीट चौडाई है। वादीगण ने ग्रेवल आम सडक व बरसाती पानी के आवागमन में कोई अवरोध, रूकावट, बाधा उत्पन्न नही की है। प्रतिवादीगण बरसाती पानी के बहाव के विपरीत वादीगण के खेत व मेड पर गडे खम्भो को तोडकर व नाला बनाकर जबरदस्ती खोदकर पानी का निकास करना चाहते है जो गलत व अवैध है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि ग्राम पंचायत मोलकिया के सरपंच है व पटवारी व गिरदावर दिनांक 24.06.2022 को वादीगण की आराजी पर गाडे हुए खम्भों को उखाडकर जबरदस्ती नाला निकालकर वादीगण को बैदखल कर वादीगण की आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है। ऐसा करने से मना

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

करने पर लडाई–झगडे पर उतारू होकर खम्भों को उखडने व नाला खोदकर जबरदस्ती बरसात के पानी को निकालने की ऐलानिया धमकियां देने लगे। वादीगण द्वारा दिनांक 28.06.2022 को विभिन्न स्तर पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर कोई सुनवाई नही होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना लाजिमी आया है। अतः वाद वर्णित आराजीयात की मेड पर गडे खम्भों को तोड–फोड नही करने, खम्भो को नही हटाने, वादीगण की आराजी के पास किसी प्रकार का नाला निर्माण कर वादीगण को बेदखल नही करने एवं वादीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार इनके द्वारा वाद वर्णित आराजीयात पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही की है, न ही तारबन्दी को हटाया, आराजी को किसी प्रकार से खराब नही किया गया। प्रशासन द्वारा पानी का निकास करवा दिया है। अतः जवाब स्वीकार कर नोटिस की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब को शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के विरूद्ध को रिलीफ नही चाहने का नोट पत्रावली में अंकित किया गया। शहादत वादी के तहत गवाह श्री जगदीश पुत्र रामकिशन जाट निवासी तसवारिया, श्री सीताराम पुत्र सुवालाल जाट निवासी तसवारिया, श्री रामसिंह पुत्र मनीराम जाट निवासी तसवारिया के बयान व शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी ग्राम आमली तहसील केकड़ी के खाता संख्या नया पुराना 187–168 के खसरा संख्या 483 व 487 कुल रकबा 1.34 हैक्टर का प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे व वाद वर्णित आराजीयात को किसी प्रकार नष्ट–भ्रष्ट, खुर्द–बुर्द नही करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner